

.....किस्म.....

.....उपखण्ड.....

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

21/12/2023 पत्राली देवा हरी वादी गण वकील
 उपाधीत। वादीगण वकील ने अकमत कसमा
 कि वादीगण उकमत आगे नही चलाना चाहे
 वादीगण ने उकमत नोटिस दे वारिज
 कराना चाहे। अतः मु. नं. 204/23 को
 अजिम्प्रीट बनाम जिम्प्रीट नोटिस में
 श्वारिज किया जात है। पत्राली देवा हरी
 उपाधीत देकर नम्बर से समर्थ।

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (करौली)

NOT Proven

[Signature]

(M.S. 114/23)

6